

11  $\frac{5}{22}$

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक.....को पेश हो।

रीडर 23  $\frac{6}{22}$

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बाराँ

23  $\frac{6}{22}$

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप.।

पत्रावली वास्ते कापममुकामान दिनांक 24-8-22 को पेश हो।

24  $\frac{8}{22}$

पीठासीन अधिकारी अवकाश/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक.....को पेश हो

रीडर 23  $\frac{11}{22}$

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बाराँ

23  $\frac{11}{22}$

पत्रावली पेश हुई। रुक रुक कर तीन बार आवाज दिलाई गई। न तो वकील उप. हैं न ही पक्षकारान्। ऐसी स्थिति में न्यायालय पत्रावली को आगे अंतरकार श्रवना उचित नहीं समझता है। अतः वाद को अदम हाजरी अदम चैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर ले कम ही जावे निर्णय आज दिनांक 23.11.22 को सरै इजलास मुनापा गया।